न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता

पीठासीन अधिकारी	–	राजेश्वर विश्नोई, आर.जे.एस.
फौज. विविध प्र.सं.	–	175/2024
परिवाद	–	पूजा देवी वगैरह बनाम धर्माराम
अंतर्गत धारा	–	144 बी.एन.एस.एस.

दिनांक : 02.04.2026

वकील उभय पक्ष उपस्थित। गत पेशी पर अंतरिम भरण पोषण हेतु बहस सुनी जा चुकी है।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की एवं जाहिर किया कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी धर्माराम के साथ हिन्दू रीति सप्तपदी के अनुसार दिनांक 18.04.2018 को ग्राम चुई में सम्पन्न हुवा। विवाह के समय प्रार्थीया के माता–पिता, परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार घरेलू सामान व सोने चांदी के आभूषण भेंट स्वरूप प्रार्थीया को दिया, जो प्रार्थीया का स्त्रीधन है एवं बाटका में 21,000/– रू. नगद किये। प्रार्थीया विदा होकर जब अपने ससुराल पहुँची, तो अप्रार्थी पति धर्माराम व उसके परिवार के सदस्य सास सन्तोष देवी, देवर कुलदीप, ननदें रेखा, रचना, सजना व ननदोई रामकिशोर प्रजापत ने कहा कि तुम्हारे माता–पिता ने हमारी हैसियत के अनुसार विवाह नहीं किया एवं न तो मोटर साईकिल दी एवं ना ही बाटका में 1,21,000/– रू. डाले, केवल 21,000/– रू. बाटके में डालकर समाज में हमारी नाक कटवा दी तथा अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों ने कहा

कि जब वापिस अपने पीहर जाओ, तो माता–पिता को मोटर साईकिल एवं 1,00,000/– रू. के लिये बोलना, ताकि हम समाज वालों को समटुणी दिखा सके। मैं जब वापिस अपने पीहर आई, तो अपने माता–पिता को सारी बात बताने पर मेरे माता–पिता ने कहा कि हम गरीब है, इतना देने की हमारी हैसियत नहीं है, इसलिये अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों से समझाईश करेंगे तथा उन्हें समझा देंगे तथा प्रार्थीया के माता–पिता ने अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों से समझाईश की, तो उस समय तो अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य मान गये तथा कुछ समय तक अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों का व्यवहार मेरे साथ ठीक ठाक रहा। प्रार्थीया व अप्रार्थी के वैवाहिक जीवन से एक पुत्र हनिवेष का जन्म 2020 में जन्म हुवा। प्रार्थीया के पुत्र का जन्म होने के बाद कहने लगे कि अब जामणा की सीख में अपने पीहर से एक लाख रोकड़ी एवं मोटरसाईकिल लेकर आना, ताकि समाज में हमारी ईज्जत हो सके, लेकिन प्रार्थीया के माता–पिता गरीब होने से अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों की मांग के अनुसार जामणा में मोटर साईकिल व 1 लाख रूपये नहीं देने पर अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य सभी मेरे से सख्त नाराज हो गये एवं पुत्र सन्तान के समय पगा लगाई में प्रार्थीया के 50,000/– रिश्तेदारों ने दिये वे एवं 24,000/– रू. प्रार्थीया के पुत्र को दिये। उक्त सभी 74,000/– रू मेरे से अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों ने छिन लिये तथा अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों का व्यवहार मेरे प्रति क्रूर हो गये तथा आये दिन दहेज की मांग को लेकर प्रार्थीया के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगे, जब

अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों का व्यवहार मेरे प्रति अत्यधिक क्रूर हो गया, तो प्रार्थीया ने सारी घटना अपने माता–पिता को बताई, तो प्रार्थीया के माता–पिता एवं भाई एवं काका व रिश्तेदारों ने अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों से कई बार समझाईश की, लेकिन अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे। अप्रार्थी पति धर्माराम आये दिन प्रार्थीया के साथ मारपीट करने लगा तथा अन्य परिवार के सदस्य सन्तोष देवी, कुलदीप, रेखा, रचना, सजना अप्रार्थी धर्माराम को उकसाने लगे तथा कहते कि अगर तुझे यह पसन्द नहीं है तो इसे रास्ते से हटा दे, हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे तथा अप्रार्थी धर्माराम ने भी प्रार्थीया को धमकी दी कि मैंने दूसरी लड़की देख रखी है, तू यह घर छोड़कर चली जा, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, लेकिन प्रार्थीया जो भोली भाली एवं ग्रामीण परिवेश की रहने वाली महिला है तथा लोक लाज के कारण सब कुछ सहन यह सोचकर करती रही कि समय के साथ ठीक हो जायेगा तथा अपने नाबालिग बच्चे के साथ सब कुछ सहन करती रही, लेकिन अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों की मांग पूरी नहीं होने से प्रार्थीया के ससुराल वाले सभी येन केन प्रकार से प्रार्थीया के घर से बेदखल करने के लिये प्रताड़ित एवं तंग परेशान किये जाने लगा एवं हर 4–5 दिन बाद मारपीट होने लगी तथा घर का जो पहले कार्य प्रार्थीया व उसकी सास व ननदें मिलकर करती थी, वह सारा कार्य प्रार्थीया अकेली से करवाने लगे तथा कार्य में ना तो सहयोग करते, उल्टे ताने देना एवं काम में दोष निकाल कर

प्रताड़ित करते एवं कहते कि तेरे मां बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया तथा प्रार्थीया का पति आये दिन प्रार्थीया को अपने माता–पिता से पैसे लाकर देने के लिये धमकाने लगा। प्रार्थीया ने अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों से कहा कि मेरे माता–पिता गरीब मजदूर व्यक्ति है, जो अपना स्वयं का बड़ी मुश्किल से परिवार चला रहे हैं तथा कोई राशि देने के लिये सक्षम नहीं है, लेकिन अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों का कभी दिल नहीं पसीजा, अपने नाजायज मांग को लेकर आये दिन बेहताशा मारपीट करने लगे तथा आज से करीब 3 माह पूर्व को प्रार्थीया के साथ मारपीट कर उसे एक जोड़ी पहने हुवे कपड़ों में नाबालिग बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया, तब प्रार्थीया बड़ी मुश्किल से अपने पीहर ग्राम चुई आ गई तथा तब से प्रार्थीया अपने माता–पिता के पास असहाय हालत में रह रही हैं। प्रार्थीया को घर से बाहर निकालने के बाद भी गजेन्द्र बैन्दा पूर्व सरपंच चुई, संग्राम सियाग, पिता बंशीराम, काका हरीराम द्वारा अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों से समझाईश की गई, लेकिन अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपनी मांगों पर अड़े हुवे हैं एवं प्रार्थीया द्वारा अपना स्त्रीधन अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य से मांगने पर अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों ने लौटाने से इन्कार कर दिया। तब प्रार्थीया ने पुलिस थाना डेगाना में अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 173/2024 दर्ज करवायी, जो अन्वेषणाधीन हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को अपनी दहेज की मांग पूरी नहीं होने से परित्याग कर रखा है, उसके पश्चात भी प्रार्थीया ने अप्रार्थी को फोन पर कई

बार समझाने का प्रयास किया, ताकि प्रार्थीया की गृहस्थी खराब नहीं होवे और टूटे नहीं, इसके लिए प्रार्थीया अपने परिवाद वालो के साथ भी अप्रार्थी से समझाईश की, लेकिन अप्रार्थी पर उसका कोई असर नहीं हुआ तथा प्रार्थीया को मजबूरन अपने पीहर में निवास करना पड़ रहा है। प्रार्थीया के पिता व पीहर पक्ष के व्यक्ति गरीब काश्तकार है, जो मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण मुश्किल से कर पाते हैं, वो प्रार्थीया व उसके पुत्र को अपने पास रख कर उनका भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है व अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों ने प्रार्थीया से दहेज की मांग करते हुवे मारपीट, क्रूरतापुर्ण व्यवहार करते व प्रार्थीया को अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों ने शारीरिक व मानसिक कमजोर कर दिया, जिससे वह मजदूरी करने में सक्षम नहीं है। प्रार्थीगण को भरण–पोषण जैसे मकान किराया, खाने–पीने की वस्तु, दूध, दही, दवाइयां, कपड़ा इत्यादि जायज जरूरतों हेतु प्रार्थीया को प्रतिमाह 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये की आवश्यकता है, जो राशि अप्रार्थी से दिलवाई जानी आवश्यक है। अप्रार्थी फोटोग्राफर है, जिसका जगदम्बा फोटो स्टुडियो के नाम से कस्बा कुचेरा में दूकान है तथा बड़े–बड़े आयोजनों, शादी समारोह में वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी का कार्य करता है, जिससे अप्रार्थी को करीबन प्रतिमाह 60,000/– अक्षरे साठ हजार से भी अधिक आय होती है तथा अप्रार्थी के रहवास हेतु पक्का मकान निर्मित है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के पास गांव मे करीब 15 बीघा जमीन है, जिससे भी सालाना करीब 6–7 लाख रूपये की आय होती है। अप्रार्थी प्रार्थीया व उसके बच्चे को भरण–पोषण राशि आसानी से

अदा कर सकता है। अप्रार्थी का दायित्व है कि वो अपनी विवाहिता पत्नी प्रार्थीया व अपने पुत्र को अपने पास रख कर भरण पोषण करें व पति धर्म का निर्वहन करें, लेकिन अप्रार्थी अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है एवं प्रार्थीया व पुत्र को भूखे मरने के लिए दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया है, जिसे प्रार्थीगण को अप्रार्थी से भरण पोषण राशि दिलवाई जानी आवश्यक एवं न्यायोचित है, ताकि प्रार्थीया अपना सामान्य जीवन यापन कर सकें। अप्रार्थी भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन रखते हुवे भी प्रार्थीगण का भरण पोषण नहीं कर रहा है, जबकि प्रार्थीया स्वयं भरण–पोषण के लिए सक्षम नहीं है एवं आय का अन्य को स्त्रोत प्रार्थीया के पास नहीं है। प्रार्थीया को अप्रार्थी ने बेवजह अभित्यक्त कर रखा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को अप्रार्थी से भरण–पोषण दिलवाय जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की एवं जाहिर किया कि प्रार्थीया पूजा देवी का विवाह अप्रार्थी धर्माराम के साथ ग्राम चुई में दिनांक 18.04.2018 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय अप्रार्थी व अप्रार्थी के माता–पिता ने भी प्रार्थीया को पहनने के लिए कीमत कपड़े, सोना चांदी के गहने दिये थे, जो सोना चांदी के गहने प्रार्थीया के पास आज भी है। प्रार्थीया सोशल मीडिया पर पहन कर उनका वीडियो एवं फोटो अपलोड करती है। अप्रार्थी व उसके परिवारजन को आज दिन तक वापिस नहीं लौटाये व नहीं अप्रार्थी व उसके माता पिता को पहले कभी दिये थे। प्रार्थीया के माता–पिता ने जो विवाह के समय घरेलू उपयोग

का सामान दिया वो प्रार्थीया के पास में ही है। अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदारान ने कभी भी प्रार्थीया को दहेज, रूपये व मोटरसाईकिल लाने का नहीं कहा, न ही प्रार्थीया से दहेज की मांग की, न ही प्रार्थीया के साथ मारपीट की। अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों ने प्रार्थीया को राजी खुशी रखते हुवे भरण पोषण किया व अप्रार्थी ने अपने पति धर्म का निर्वहन किया। प्रार्थीया व अप्रार्थी के बीच ससुराल में मधुर सम्बन्ध ही रहे व दोनो पति पत्नी धर्म के निर्वहन से पुत्र हनिवेश का जन्म हुआ। अगर प्रार्थीया व अप्रार्थी के साथ मनमुटाव होता व अनबन होती तो पुत्र संतान का जन्म होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जिससे प्रार्थीया द्वारा लगाये गये आरोप अपने आप ही झूठे साबित हो जाते हैं। प्रार्थीया अपने पुत्र को साथ में लेकर अपना गहना अपना स्त्रीधन तथा अप्रार्थी के परिवार के द्वारा दिये गये सोना–चांदी के सम्पूर्ण आभूषण गहना इत्यादि पहनकर सोलह सिणगार करके हर बार की तरह अपने पिता के साथ राजी खुशी गई थी व वापिस अप्रार्थी व उसके पिता द्वारा भरसक प्रयास करने के उपरान्त प्रार्थीया अपने ससुराल में नहीं आई व प्रार्थीया, अप्रार्थी को माता पिता से अलग होने का दबाव भी बनाती थी। जब अप्रार्थी ने प्रार्थीया को कहा कि अभी तक तू इकलोती बहू है, अपन दोनों मिलकर माता–पिता की सेवा करेंगे व अप्रार्थी ने अपने माता–पिता से अलग होने से मना कर दिया, तब प्रार्थीया अपनी मनमर्जी से अपने ससुराल ग्राम कुचेरा नहीं आई व अपनी मर्जी से पिता के घर पर निवास कर रही है। जबकि अप्रार्थी, प्रार्थीगण को अपने साथ रखकर भरण पोषण करने

को व अपने पति धर्म का निर्वहन करने को तैयार है। प्रार्थीया स्वयं ने अप्रार्थी को नेगलेट कर रखा है तथा वो अप्रार्थी के साथ रहकर अपना पत्नी धर्म का निर्वहन करना नहीं चाहती है, जिससे कानूनन प्रार्थीया अप्रार्थी से किसी प्रकार का कोई भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदारों ने प्रार्थीया के मारपीट, क्रूरता नहीं की और न ही प्रार्थीया से दहेज की मांग की। जब प्रार्थीया के साथ कोई आपराधिक कृत्य ही नहीं किया, तो प्रार्थीया ने अप्रार्थी व उसके परिवाजन के विरूद्ध झूठे मुकदमे लगाकर तंग, परेशान किया है। प्रार्थीया स्वयं कक्षा 9वीं उतीर्ण है। स्वस्थ व नौजवान महिला है, जो अपने पिता के पुश्तैनी मकान में निवास कर रही है व सिलाई करके मजदूरी करके प्रार्थीया प्रतिमाह 15–20 हजार रूपये की मजदूरी कर लेती है, जिससे आराम से भरण–पोषण कर रही है। अप्रार्थी ग्राम कुचेरा में ई–मित्र की दूकान संचालन करता है। ग्राम कुचेरा में बड़ी संख्या में ई–मित्र की दूकानें लगी हुई हैं, जिस पर अप्रार्थी बड़ी मश्किल से 6–7 हजार रूपये की मजदूरी कर पाता है, जिनसे अप्रार्थी स्वयं का खर्चा व इसके माता–पिता का खर्चा एवं पिता के दवाइयों का खर्चा इत्यादि मुश्किल से चल पा रहा है। अप्रार्थी के पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, प्रोस्टेट की समस्या है। प्रार्थीया व अप्रार्थी की शादी 18.04.2018 को होना रिकॉर्ड है तथा प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थीया 2024 में पीहर आना बता रही है, जो 6 वर्ष तक साथ रहना बता रही है। इस दरमियान एक भी प्रकरण कार्यवाही रिपोर्ट प्रार्थीया द्वारा पुलिस थाना एवं न्यायालय में दर्ज

नहीं करवाई गई जिससे साबित है कि प्रार्थीया मात्र अप्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों को झूठा परेशान करने के लिए प्रकरण दर्ज करवा रखे हैं। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम भरण–पोषण आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तर्कों पर मनन किया गया। यह निर्विवाद है कि प्रार्थीया पूजा देवी अप्रार्थी धर्माराम की पत्नी तथा प्रार्थी हनिवेश अप्रार्थी का पुत्र हैं। अप्रार्थी शारीरिक रूप से असक्षम नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि पति अपनी पत्नी व संतान का भरण–पोषण करने से इस आधार पर इन्कार नहीं कर सकता है कि उसके पास आय का पर्याप्त साधन नहीं है। अप्रार्थी द्वारा दिए गए शेष तर्क साक्ष्य का विषय है। इस स्तर पर गुणावगुण पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। वर्तमान में यह प्रथम दृष्ट्या प्रकट होता है कि प्रार्थीया के पास स्वयं के भरण–पोषण हेतु पर्याप्त आय के स्त्रोत नहीं है एवं अप्रार्थी, प्रार्थीगण के प्रति भरण–पोषण का विधिक दायित्व होते हुए भी उसका भरण–पोषण नहीं कर रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रकरण में इस स्तर पर अप्रार्थी की आय एवं उसके संसाधनों के संबंध में तथा पक्षकारों के जीवनयापन के स्तर एवं जरूरतों के संबंध में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु कोई पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रमाण अभिलेख पर नहीं होने से, अन्तरिम

भरण–पोषण प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए तथा आय व्यय के शपथ पत्रों को देखते हुए प्रार्थीया को अन्तरिम भरण–पोषण दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश होने की तारीख से मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक प्रार्थीया पूजा देवी को 2,500/– रुपये अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये व उसके पुत्र हनिवेश को उसकी शिक्षा, दीक्षा के लिये 1,500/– रुपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये, **कुल 4,000/– रूपये अक्षरे चार हजार रूपये** प्रतिमाह अदा करेगा। अप्रार्थी, प्रार्थीगण को भरण–पोषण की मासिक राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करे व आज तक की उद्‌भूत राशि तीन समान किश्तों में तीन माह में अदा करे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थीया हेतु दिनांक 18.06.2026 को पेश हो।